

## कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग पिथौरागढ़।

दूरभाष / फैक्स नं0 05964-225115 पत्रांक 22,69 / 22 याता०

E-mail - pdpwdpth@rediffmail.com

दिनांक 19/10 /2024

.सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

वन प्रभाग

पिथौरागढ विषय:-

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत माड़ मसींली मोटर मार्ग का संगट्दा तक विस्तार कार्य के वन भूमि हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु हेतु 0.945 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विमाग को

प्रत्यावर्तन किए जाने के सम्बन्ध में। प्रपोoसंo (FP/UK/ROAD/144679/2021) सन्दर्भ:-

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून, 25 सुमाष रोड के पत्रांक हबी० / यू०सी०पी० / 06 / 23 / 2021 / एफ०सी० / 1446, दिनांक 19.01.2022

महोदय.

उपरोक्त विषयक पर सन्दर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए लगाई गई आपत्तियों का निराकरण किया गया है, जिनका विवरण निम्नवत है, साथ ही सम्बन्धित आपत्तियों के अभिलेख आपके कार्यालय में पत्र के साथ संलग्न कर प्रैषित

S.NO	आपितत	उत्तर
1	On the perusal of the KML file, it is observed that the proposed road can start from the existing Encholi-Badabe Motor road can end at village "Khainalgaon" thus providing connectivity to village shown in KML. In this way, the forst area being proposed up to the existing road of Mard-Marsholi Motor road would not be required and unnecessary felling of trees shall be avoided. Hence, the state Govt. is requested to submit it comments in this regard.	पूर्व स्वीकृत माड़ मर्सोली मोटर मार्ग (लं० 2.00 किमी०) की वन भूमि हरतान्तरण कर विधिवत स्वीकृति शासनादेश सं० 530(1)/-4-15/1(83)/2015, दिनांक 28.12.2015 द्वारा 0.81 हे0 वन भूमि की प्राप्त है (संलग्न) प्रस्तावित मोटर मार्ग को इसके अंतिम बिन्दु से आगे बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं० 895/111(2)/18-44 (एम०एल०ए०)/2017, दिनांक 22.02.2019 द्वारा माड़ मर्सोली मोटर मार्ग का संगट्टा तक विस्तार कार्य (लं० 5.00किमी०) के नाम से प्राप्त है। पूर्व निर्मित 2.00 किमी० भाग जो कि कटिंग कार्य तक पूर्ण हो चूका है।
2.	The muck disposal plan is proposed over forest land however lot of private land is seen around the proposed area. Therefore, the State Govt. is requested to submit its clear justification for nor selecting the non-forest land for muck dumping. The justification shall be duly authenticate by concerned DFO and a detailed Muck Disposal Plan shall also be submitted.	A report regarding muck disposal plan proposed over forest land authenticate by DFO has been uploaded in Form A, Part-I.
3.	NPV is calculated at older rates. State Govt. is requested to submit/upload NPV calculation sheet as per the new rate.	New NPV calculation sheet has been uploaded in Form A, Part I.
4.	State Govt. is requested to submit the plantation scheme for 1900 plants by way of CA along with the details, map and site suitability certificate of the site selected for planting the tress.	The plantation scheme for 1900 plants by way of CA along with the details, map and site suitability certificate of the site selected for planting the trees will be submit in the office and also uploaded in Form A part1.

भवदीय

अधिशासी अमियन्त प्रान्तीय खपुष लोठनिठवि०